बैंक जमा पर नीति 2022-23

विषयसूची

क्रमांक।	विवरण	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	3
2	नीति का कार्यक्षेत्र	3
3	नीति का उद्देश्य	3
4	नीति के प्रावधान	3
5	जमा खातों का प्रकार	3-4
6	जमा	4
7	निकासी	4-5
8	खाता खोलना और जमा खातों का संचालन	5-8
9	कासा जमा	8
10	बचत बैंक और चालू जमा खाताधारकों के लिए वैकल्पिक वितरण चैनलों का विस्तार	8
1 1	ब्याज भुगतान	9-11
12	दस साल से अधिक की सावधि जमा (कोर्ट ऑर्डर)	11-12
13	नाबालिगों के खाते	12
14	निरक्षर व्यक्तियों का खाता	12
15	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का खाता	13
16	दृष्टिबाधित व्यक्तियों का खाता	13
17	ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों का खाता	13
18	संयुक्त खाताधारकों के नाम जोड़ना या हटाना	13
19	ग्राहक सूचना	13
20	ग्राहक के खातों की गोपनीयता	13
21	सावधि जमा की समयपूर्व निकासी	14
22	समय से पहले नवीनीकरण / सावधि जमा का विस्तार	14
23	सावधि जमा का नवीनीकरण	14-15
24	जमाराशियों पर अग्रिम	15

25	बैंकों में "या तो या उत्तरजीवी" या "पूर्व या उत्तरजीवी" जनादेश के साथ सावधि जमाकर्ता की समयपूर्व चुकौती।	15
26	मृत जमाकर्ता के खाते में देय राशि का भुगतान	15-16
27	मृत जमाकर्ता के खाते में सावधि जमा पर देय ब्याज	16
28	खातों का बंद होना	16
29	जमाराशियों के लिए बीमा कवर	16-17
30	भुगतान रोकें सुविधा	17
31	निष्क्रिय खाते	17
32	अनिवासी खाते	17-25
33	स्टाफ जमा और अतिरिक्त ब्याज का भुगतान	25-30
34	जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 (DEAF)	30
35	सुरक्षित जमा लॉकर	30-31
36	ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र	31
37	पॉलिसी की समीक्षा और वैधता	31

बैंक जमा पर नीति 2022-23

1 प्रस्तावना

बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक उधार देने के उद्देश्य से जनता से जमा स्वीकार करना है। वास्तव में, जमाकर्ता बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख हितधारक हैं। जमाकर्ता और उनकी रुचि भारत में बैंकिंग के लिए नियामक ढांचे का प्रमुख क्षेत्र है और इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में निहित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को जमा और अन्य पहलुओं पर ब्याज दरों और समय-समय पर जमा खातों के संचालन के संबंध में निर्देश / सलाह जारी करने का अधिकार है। वित्तीय प्रणाली में उदारीकरण और ब्याज दरों के विनियमन के साथ, बैंक अब आरबीआई द्वारा जारी व्यापक दिशानिर्देशों के अंतर्गत जमा उत्पाद तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

2. नीति का कार्यक्षेत्र

जमा पर यह नीति दस्तावेज बैंक द्वारा पेश किए गए विभिन्न जमा उत्पादों के निर्माण और खातों के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के आधार पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करता है। दस्तावेज़ जमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता देता है और

ग्राहकों के लाभ के लिए जनता के सदस्यों से जमा की स्वीकृति, विभिन्न जमा खातों के संचालन और संचालन, विभिन्न जमा खातों पर ब्याज का भुगतान, जमा खातों को बंद करने, मृत जमाकर्ताओं आदि की जमाराशियों के निपटान की विधि के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी का प्रसार करना है।

3. नीति का उद्देश्य

यह उम्मीद की जाती है कि यह दस्तावेज़ व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ व्यवहार करने में अधिक पारदर्शिता प्रदान करेगा और ग्राहकों के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। अंतिम उद्देश्य यह है कि ग्राहक को वे सेवाएं मिलेंगी जिन्हें वे बिना मांग के प्राप्त करने के हकदार हैं।

4. नीति के प्रावधान

इस नीति को अपनाते हुए, बैंक ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता में उल्लिखित व्यक्तिगत ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराता है। यह दस्तावेज़ एक व्यापक ढांचा है जिसके तहत आम जमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी जाती है। विभिन्न जमा योजनाओं और संबंधित सेवाओं पर विस्तृत परिचालन निर्देश समय-समय पर जारी किए जा रहे हैं।

5 जमा खाते के प्रकार

बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न जमा उत्पादों को अलग-अलग नाम दिए गए हैं, जमा उत्पादों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

प्रमुख जमा योजनाओं की परिभाषा इस प्रकार है:

5.1. "**मांग जमा**" का अर्थ है बैंक द्वारा प्राप्त ऐसी जमा है जो मांग पर आहारित की जा सकती है.

5.2. "**बचत जमा**" का अर्थ मांग जमा का एक रूप है जो निकासी की संख्या के साथ-साथ किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बैंक द्वारा अनुमत निकासी की राशि के रूप में प्रतिबंधों के अधीन है।

5.3. "**चालू जमा**" का अर्थ है मांग जमा का एक रूप जिसमें खाते में शेष राशि के आधार पर या किसी विशेष सहमत राशि के आधार पर कई बार निकासी की अनुमति दी जाती है और इसमें अन्य जमा खाते भी शामिल होंगे जो न तो बचत जमा और न ही सावधि जमा हैं।

5.4. "**नोटिस जमा**" का अर्थ है विशिष्ट अवधि के लिए सावधि जमा लेकिन कम से कम एक पूर्ण बैंकिंग दिन की सूचना देने पर निकासी योग्य ।

5.5. "**सावधि जमा**" का अर्थ है एक निश्चित अवधि के लिए बैंक द्वारा प्राप्त जमा राशि जिसे सामान्य रूप से निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद वापस लिया जा सकता है और इसमें आवर्ती / लघु जमा / सावधि जमा / मासिक आय योजना / त्रैमासिक आय प्रमाण पत्र / जमा पुनर्निवेश प्रमाण पत्र आदि जमा शामिल हैं।

5.6. **"थोक सावधि जमा"** का अर्थ है रु.2.00 करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपये की सावधि जमा. इसके अलावा यह स्पष्ट किया जाता है कि एक जमाकर्ता के लिए एक दिन में एक से अधिक जमाराशियों की अवधि चाहे जो भी हो, रु.2.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि को भी थोक जमा के रूप में माना जाएगा। इन जमाराशियों पर लागू ब्याज दर दैनिक आधार पर एल्को द्वारा अनुमोदित दरें होंगी।

5.7. "**नॉन-कॉलेबल सावधि जमा**" का अर्थ है सावधि जमा जो समय पूर्व बंद करने की सुविधा है. नॉन-कॉलेबल सावधि जमा को समय से पहले बंद करने की अनुमति केवल नीचे दी गई परिस्थितियों में दी जा सकती है;

(i) संयुक्त खाते के मामले में जमाकर्ता/पहले जमाकर्ता की मृत्यु

(ii) जमाकर्ता/ओं का दिवालियेपन

(iii) सरकार/नियामक से विशिष्ट आदेश के मामले में

(iv) अदालत के आदेश के मामले में

(v) किसी अन्य विशेष परिस्थिति/अनिवार्यता के मामले में ।

प्रत्यायोजित प्राधिकार:

(ए) मद क्र. i) से (iv) में उल्लिखित मामलों के लिए, नॉन-कॉलेबल जमाओं को समय से पहले बंद करने की शक्ति केंद्रीय कार्यालय में सावधि जमा पोर्टफोलियो की देखभाल करने वाली महाप्रबंधक, खुदरा जमा विभाग में निहित होगी।

(बी) मद संख्या (v) में उल्लिखित मामले के लिए नॉन-कॉलेबल जमाओं को समय से पहले बंद करने की शक्ति एल्को के पास निहित होगी।

6. जमा

खाते में जमा नकद, चेक, इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण, ईसीएस, या किसी अन्य माध्यम से किया जा सकता है जो बैंक की वेबसाइट पर उचित नोटिस देने के बाद उपयोग में आ सकता है। घरेलू और गैर-घरेलू शाखाओं में नकद जमा कुछ प्रतिबंधों के अधीन हैं और इसमें शुल्क का भुगतान भी शामिल हो सकता है।

7. निकासी

खाते में आहरण चेक, आहरण प्रपत्रों, एटीएम, पीओएस मशीनों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से, बायोमेट्रिक कार्ड के उपयोग द्वारा, बैंक को स्थायी निर्देश देकर, ईसीएस निर्देश या किसी अन्य के माध्यम से किया जा सकता है जिसे बैंक की वेबसाइट पर उचित नोटिस देने के बाद उपयोग में आ सकता है। नकद निकासी रुपये में होनी चाहिए। बैंक ग्राहकों द्वारा ई-मेल के माध्यम से अनुरोध किए गए किसी भी वित्तीय लेनदेन को नहीं करता है, भले ही अनुरोध संलग्नक के रूप में स्कैन किए गए पत्र द्वारा किया गया हो।

8. खाता खोलना और जमा खातों का संचालन

8.1. बैंक कोई भी जमा खाता खोलने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी "अपने ग्राहक को जानो" (केवाईसी) दिशानिर्देशों और बैंक की ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसार ऐसे अन्य मानदंडों या प्रक्रियाओं और ऐसे अन्य मानदंडों या प्रक्रियाओं के तहत ड्यू डिलिजेंस करेगा। यदि किसी संभावित जमाकर्ता का खाता खोलने के निर्णय के लिए उच्च स्तर पर मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो खाता खोलने में किसी भी देरी के कारणों के बारे में उसे सूचित किया जाएगा और बैंक के अंतिम निर्णय से उसे जल्द से जल्द अवगत कराया जाएगा ।

8.2. बैंक समाज के वंचित वर्गों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें बेसिक सेविंग्स बैंक स्मॉल अकाउंट्स (बीएसबीडीएस) के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं दी जाएंगी और रेगुलेटरी दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहक स्वीकृति मानदंडों में रियायात के साथ खाते खोले जाएंगे।

8.3. खाता खोलने के फॉर्म और अन्य सामग्री बैंक द्वारा संभावित जमाकर्ता को प्रदान की जाएगी। इसमें प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और सत्यापन और/या रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण होगा। बैंक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह खाता खोलने के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की व्याख्या करे और जमा खाता खोलने के लिए आने वाले संभावित जमाकर्ता द्वारा मांगे गए आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करे।

8.4. विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को ग्राहकों को जोखिम की धारणा के आधार पर वर्गीकृत करने और लेनदेन की निगरानी के उद्देश्य से ग्राहकों की प्रोफाइल तैयार करने की आवश्यकता होती है। संभावित ग्राहक की आवश्यक जानकारी/विवरण प्रदान करने में असमर्थता या अनिच्छा के परिणामस्वरूप बैंक खाता खोलने से इनकार कर सकता है।

8.5. वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने में मौजूदा ग्राहक की अक्षमता के परिणामस्वरूप ग्राहक को उचित नोटिस (सूचनाओं) के बाद खाता बंद कर दिया जा सकता है।

8.6. बचत बैंक खाते और चालू जमा खाते जैसे जमा उत्पादों के लिए, बैंक सामान्य रूप से ऐसे खातों के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के हिस्से के रूप में कुछ न्यूनतम शेष राशि को बनाए रखने के लिए निर्धारित करेगा। खाते में न्यूनतम शेषराशि बनाए रखने में विफल रहने पर बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रभारों की वसूली की जाएगी। बचत बैंक खाते के लिए, बैंक दी गई अवधि के दौरान लेनदेन की संख्या, नकद निकासी आदि पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। इसी तरह, बैंक चेक बुक जारी करने, खातों के अतिरिक्त विवरण, डुप्लीकेट पासबुक, फोलियो शुल्क आदि के लिए शुल्क निर्दिष्ट कर सकता है। खाते के संचालन के लिए नियम और शर्तों और प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क की अनुसूची के बारे में ऐसे सभी विवरण को सूचित किया जाएगा। खाता खोलते समय संभावित जमाकर्ता।

8.7. बचत बैंक खाते पात्र व्यक्ति / व्यक्तियों और कुछ संगठनों / एजेंसियों के लिए खोले जा सकते हैं (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित)

8.8. चालू खाते व्यक्तियों/साझेदारी फर्मों/निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों/एचयूएफ/निर्दिष्ट एसोसिएट्स/सोसाइटियों/ट्रस्टों, विभागों/सरकार (केंद्र या राज्य) द्वारा बनाए गए प्राधिकरण, सीमित देयता भागीदारी आदि द्वारा खोले जा सकते हैं।

8.9. मीयादी जमा खाते व्यक्तियों/साझेदारी फर्मों/निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों/एचयूएफ/निर्दिष्ट एसोसिएट्स/सोसाइटियों/ट्रस्टों, विभागों/सरकार (केंद्र या राज्य) द्वारा बनाए गए प्राधिकरण, सीमित देयता भागीदारी आदि द्वारा खोले जा सकते हैं।

8.10. जमा खाता खोलते समय ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया में व्यक्ति की पहचान के बारे में संतुष्टि, पते का सत्यापन, उसके व्यवसाय और आय के स्रोत के बारे में संतुष्टि शामिल होगी। बैंक को स्वीकार्य व्यक्ति से संभावित जमाकर्ता का परिचय (यदि आवश्यक हो) प्राप्त करना और खाता खोलने / संचालित करने वाले व्यक्ति की हाल की तस्वीर प्राप्त करना उचित परिश्रम प्रक्रिया का हिस्सा है।

8.11. उचित परिश्रम आवश्यकताओं के अलावा, केवाईसी मानदंडों के तहत बैंक को स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त करने या आयकर अधिनियम / नियमों के तहत निर्दिष्ट फॉर्म संख्या 60 या 61 में वैकल्पिक रूप से घोषणा करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक है। खाता खोलने के लिए FATCA घोषणा अनिवार्य रूप से आवश्यक है.

8.12. खाता खोलने या खाता आधारित संबंध शुरू करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित तिथि तक आधार संख्या को पार्टी द्वारा रिपोर्टिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है। यह प्रावधान लागू नहीं है

8.12.1. जो व्यक्ति लघु खाता खोलना चाहता है।

8.12.2. जहां संभावित ग्राहक आधार (वित्तीय और अन्य सहायक कंपनियों, लाभ और सेवाओं का वितरण) अधिनियम, 2016 के अनुसार निवासी नहीं है, यानी वह ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो कुल मिलाकर 182 दिनों की अवधि/अवधि के लिए भारत में रहा हो या आधार नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों में, या

8.12.3 । वह जम्मू और कश्मीर, असम या मेघालय का निवासी है।

8.13. जमा खाते एक व्यक्ति द्वारा अपने नाम से खोले जा सकते हैं (जिसे एकल नाम में खाते के रूप में जाना जाता है) या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने नाम से (संयुक्त खाते के रूप में जाना जाता है)।

8.14. संयुक्त खाते का संचालन - एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खोले गए संयुक्त खाते को एक व्यक्ति द्वारा या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा सकता है। खाते के संचालन के आदेश को सभी खाताधारकों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है। नाबालिग द्वारा प्राकृतिक अभिभावक/अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से खोले गए बचत बैंक खाते का संचालन केवल ऐसे अभिभावक द्वारा किया जा सकता है।

8.15 . वह संयुक्त खाताधारक उपरोक्त खातों में शेष राशि के निपटान के लिए निम्नलिखित में से कोई भी आदेश दे सकता है:

8.15.1. **पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी:** यदि खाता दो व्यक्तियों के नाम पर है, ए और बी, तो ब्याज के साथ अंतिम शेष राशि, यदि लागू हो, का भुगतान खाताधारकों में से किसी एक को किया जाएगा

अर्थात ए या बी, परिपक्वता की तारीख पर या खाताधारकों में से किसी एक की मृत्यु पर उत्तरजीवी।

8.15.2. **कोई भी या उत्तरजीवी:** यदि खाता दो या दो से अधिक व्यक्तियों, ए, बी और सी के नाम पर है, तो लागू ब्याज (यदि कोई हो) के साथ अंतिम शेष राशि का परिपक्वता तिथि परभुगतान किसी भी खाताधारक यानी ए या बी या सी को किया जाएगा।

8.15.3. खाताधारक में से किसी एक की मृत्यु पर जैसे ए, ब्याज के साथ अंतिम शेष राशि, यदि लागू हो, का भुगतान जीवित खाताधारकों में से किन्हीं दो यानी बी या सी को किया जाएगा। खाताधारकों में से किन्हीं दो की मृत्यु पर ए और बी, ब्याज सहित अंतिम शेष, यदि लागू हो, का भुगतान जीवित खाताधारक अर्थात सी.

8.15.4. **पूर्व या उत्तरजीवी:** यदि खाता दो व्यक्तियों, ए और बी के नाम पर है, तो ब्याज के साथ अंतिम शेष राशि, यदि लागू हो, परिपक्वता की तारीख पर पूर्व यानी ए को और किसी खाताधारकों की मृत्यु पर उत्तरजीवी को भुगतान किया जाएगा। ।

8.15.5. **बाद में या उत्तरजीवी:** यदि खाता दो व्यक्तियों, ए और बी के नाम पर है, तो ब्याज के साथ अंतिम शेष राशि, यदि लागू हो, तो बाद वाले यानी बी को परिपक्वता की तारीख पर और खाताधारकों में किसी की मृत्यु पर उत्तरजीवी को भुगतान किया जाएगा। ।

8.15.6. उपरोक्त आदेश केवल सावधि जमा की परिपक्वता की तारीख पर या उसके बाद लागू होंगे या चालू होंगे। इस आदेश को सभी खाताधारकों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है। अब यदि संयुक्त जमाकर्ता 'या तो या उत्तरजीवी', 'कोई भी या उत्तरजीवी', 'पूर्व या उत्तरजीवी', या बाद में या उत्तरजीवी के आदेश के अनुसार जमा की समयपूर्व निकासी पसंद करते हैं, तो बैंक जीवित लोगों को सावधि जमा की समयपूर्व निकासी की अनुमति दे सकता है। मृत जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति प्राप्त किए बिना जमाकर्ता/रों, बशर्ते सभी जमाकर्ताओं ने खाता खोलते समय या बाद में जमा की अवधि के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट संयुक्त आदेश दिया हो।

जमाकर्ता के अनुरोध पर, बैंक उसके द्वारा दिए गए आदेश/ मुख्तारनामा को पंजीकृत करेगा और उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को खाता संचालित करने के लिए अधिकृत करेगा।

8.16. सावधि जमा खाताधारक अपनी जमा राशि जमा करते समय परिपक्वता की तारीख को जमा खाते को बंद करने या आगे की अवधि के लिए जमा के नवीनीकरण के संबंध में निर्देश दे सकते हैं।

8.17. किसी भी निर्देश के अभाव में जमा को ऑटो नवीनीकरण जमा के रूप में माना जाएगा और देय तिथि पर प्रचलित दर पर परिपक्व जमा के समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। (कुछ निर्दिष्ट जमा जैसे टैक्स सेवर जमा आदि को छोड़कर)

8.18. व्यक्तियों द्वारा खोले गए सभी जमा खातों पर नामांकन सुविधा उपलब्ध है। एकल मालिक द्वारा खोले गए खाते के लिए भी नामांकन उपलब्ध है। नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। इस प्रकार किया गया नामांकन खाताधारकों द्वारा किसी भी समय रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है। नामांकन करते समय, रद्दीकरण या उसमें परिवर्तन करते समय, यदि खाताधारक निरक्षर है तो किसी तीसरे पक्ष द्वारा देखा जाना आवश्यक है। खाताधारकों की सहमति से नामांकन में बदलाव किया जा सकता है। नाबालिग के पक्ष में भी नामांकन किया जा सकता है। ऐसे मामलों में नामांकन करते समय जमाकर्ता को उस व्यक्ति का नाम देना होता है (नियुक्ति कहा जाता है) जो कि एक प्रमुख है और नामांकित व्यक्ति की अल्पवयस्कता के दौरान खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में नामिती की ओर से जमा राशि प्राप्त करेगा।

8.19. बैंक अनुशंसा करता है कि सभी जमाकर्ता नामांकन सुविधा का लाभ उठाएं। जमाकर्ता/ओं की मृत्यु की स्थिति में नामिती को कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में खाते में बकाया राशि प्राप्त होगी। जमा खाता खोलते समय जमाकर्ता को नामांकन सुविधा के लाभों से अवगत कराया जाएगा।

8.20. यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति किसी को नामांकित नहीं करना चाहता है, तो उस व्यक्ति से इस आशय का एक विशिष्ट पत्र प्राप्त करना होगा कि वह नामांकन नहीं करना चाहता है। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति ऐसा पत्र देने से इनकार करता है, तो खाता खोलने के फॉर्म पर तथ्य दर्ज किया जाएगा और यदि वह अन्यथा पात्र पाया जाता है तो खाता खोला जाएगा।

8.21. खाता खोलने के नियम और शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा बचत बैंक के साथ-साथ चालू जमा खाताधारकों को समय-समय पर खाते का विवरण प्रदान किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, बैंक बचत बैंक खाताधारकों को पास बुक जारी कर सकता है।

8.22. जमाकर्ता के अनुरोध पर जमा खातों को बैंक की किसी अन्य शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है।

8.23. मौजूदा जमाकर्ता द्वारा वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप उचित नोटिस देने के बाद खाता बंद कर दिया जा सकता है।

9. कासा जमा

कासा जमा चालू खाता जमा और बचत खाता जमा को संदर्भित करता है। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ कासा जमाराशियों के लिए व्यापक ढांचा शामिल है। विभिन्न जमा योजनाओं के विस्तृत परिचालन निर्देश और विशेषताएं समय-समय पर जारी की जा रही हैं। कासा के तहत बैंक विभिन्न ग्राहक समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खातों के माध्यम से प्राप्त विभिन्न सेवाओं पर शेष राशि और शुल्क के आधार पर चालू और बचत जमा के प्रकार प्रदान करेगा। सभी जमा योजनाओं का विवरण बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

10. बचत बैंक और चालू जमा खाताधारकों के लिए वैकल्पिक वितरण चैनलों का विस्तार

बैंक ग्राहकों को उनके बैंकिंग लेनदेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का विकल्प प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक चैनलों की पसंद में एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सहित एसएमएस बैंकिंग सुविधा और फोन बैंकिंग शामिल हैं। जहां कहीं भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं मूल खाते/उत्पाद के हिस्से के रूप में पेश की जाती हैं, बैंक सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों की विशिष्ट सहमति प्राप्त करेगा।

11. ब्याज भुगतान

11.1. चालू खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

बशर्ते कि मृतक व्यक्तिगत जमाकर्ता या एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था के नाम पर मौजूद चालू खाते में शेष राशि जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से दावेदारों को चुकौती की तारीख तक भुगतान की तिथि के अनुसार बचत जमा पर लागू ब्याज दर पर ब्याज को आकर्षित करेगी।

11.2. बचत जमा पर ब्याज दर को किसी बाहरी बेंचमार्क या आंतरिक बेंचमार्क से जोड़ा जा सकता है । बाहरी बेंच मार्क के चयन का अधिकार बोर्ड के पास निहित है। बोर्ड से अनुमोदन पर, ALCO भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सामान्य दिशानिर्देशों के अंतर्गत समय-समय पर आवश्यकताओं के आधार पर ब्याज दर संरचना, प्रसार आदि का निर्णय ले सकता है ।

हालांकि , इस सीमा के भीतर खाते में राशि चाहे जो भी हो, एक लाख रुपये तक की शेष राशि पर समान ब्याज दर लागू होगी। एक लाख रुपये से अधिक जमा (दिन के अंत की शेष राशि) के लिए ब्याज की विभेदक दरें प्रदान की जा सकती हैं।

बचत जमा खाते पर ब्याज की गणना दैनिक उत्पाद के आधार पर की जाएगी और हर साल अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के महीनों में तिमाही अंतराल पर भुगतान किया जाएगा।

बचत बैंक खातों पर ब्याज, जिनमें प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा फ्रिज किए गए खाते भी शामिल हैं, खाते की परिचालन स्थिति पर ध्यान दिए बिना नियमित आधार पर जमा किए जाएंगे।

11.3. मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें केवल निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से भिन्न होंगी:

i. जमाराशियों की अवधि:

इस शर्त के अधीन कि प्रस्तावित जमा की न्यूनतम अवधि सात दिनों की होगी।

ii. जमा का आकार:

विभेदक ब्याज दर केवल थोक जमाओं पर दी जाएगी।

बशर्ते कि बैंक सावधि जमा योजना, 2006 या पूंजीगत लाभ खाता योजना, 1988 के तहत प्राप्त जमा राशि के आधार पर बनाई गई जमा योजनाओं पर विभेदक ब्याज लागू नहीं होगा।

iii. समयपूर्व निकासी विकल्प की अनुपलब्धता:

समयपूर्व निकासी विकल्प के बिना सावधि जमा।

बशर्ते कि पंद्रह लाख रुपये और उससे कम की राशि के लिए व्यक्तियों (एकल या संयुक्त रूप से धारित) से स्वीकार की गई सभी सावधि जमाओं में समय से पहले निकासी की सुविधा होगी।

11.4. ब्याज की गणना घरेलू सावधि जमा पर तिमाही अंतराल पर की जाती है और जमा की अवधि के आधार पर बैंक द्वारा तय की गई दर पर भुगतान किया जाता है। **181 दिनों** से कम अवधि के लिए देय जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान वर्ष के 365 दिनों की गणना करते हुए दिनों की वास्तविक संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

181 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए सावधि जमा पर, ब्याज की गणना निम्नलिखित तरीके से की जानी चाहिए,

क) तिमाही आधार पर पूर्ण की गई तिमाहियों के लिए।

ख) अपूर्ण तिमाही के लिए अर्थात दिनों के लिए, यदि कोई हो- वर्ष में 365 दिनों के आधार पर दिनों की वास्तविक संख्या के लिए।

मासिक जमा योजना के मामले में, ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाएगी और मासिक भुगतान रियायती मूल्य पर किया जाएगा।

11.5. निवासी वरिष्ठ नागरिकों को रु.5.00 करोड़ तक की मूल राशि की सावधि जमा पर 0.50% का अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। सावधि जमा की मुद्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिक का दर्जा प्राप्त करने पर जमाकर्ताओं को अनुबंधित दर से 0.50% अतिरिक्त ब्याज का लाभ मिलेगा।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त ब्याज दर को 1% तक बढ़ाया जा सकता है । पॉलिसी की अवधि के दौरान अतिरिक्त दर बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्राधिकारी ALCO है।

11.6. स्टाफ सदस्य / सेवानिवृत स्टाफ सदस्य/मृत स्टाफ सदस्य के जीवनसाथी जो वरिष्ठ नागरिक है, उन्हें 5.00 करोड़ रुपये तक की सावधि जमा के लिए जनता को देय दरों पर 1.50% प्रतिवर्ष की अतिरिक्त दर मिलेगी ।

11.7. 5.00 करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा पर सभी श्रेणियों के ग्राहकों के लिए कोई अतिरिक्त अधिमान्य दर की अनुमति नहीं होगी। उस दिन एल्को द्वारा तय की गई अन्य को देय सामान्य दरें इन खातों में लागू होंगी।

11.8 **गैर-व्यावसायिक कार्य दिवसों/छुट्टियों पर परिपक्व होने वाली जमाराशियां**

i) सावधि जमा/अल्पावधि जमा के मामले में, बैंक गैर-व्यावसायिक कार्य दिवसों/अवकाशों के लिए मूल राशि पर मूल रूप से अनुबंधित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो निर्दिष्ट की परिपक्वता की तारीख के बीच में होता है। जमा की अवधि और अगले कार्य दिवस पर जमा की आय के भुगतान की तारीख।

ii) पुनर्निवेश जमा (डीआरआईसी) और आवर्ती जमा के मामले में, बैंक मूल रूप से अनुबंधित दर पर परिपक्वता मूल्य पर मध्यवर्ती गैर-व्यावसायिक कार्य दिवसों/अवकाशों के लिए ब्याज का भुगतान करेगा।

11.9 **अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर ब्याज**

यदि कोई सावधि जमा परिपक्व हो जाती है और आय का न तो नवीनीकरण किया जाता है और न ही भुगतान किया जाता है, तो राशि को बैंक के एक अलग कार्यालय खाते में रखा जाएगा और अतिदेय जमा के रूप में माना जाएगा।

ऐसी अतिदेय जमाराशियों को बैंक के पास लावारिस छोड़ दिया गया

i. जब भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो परिपक्वता मूल्य का भुगतान मध्यवर्ती अवधि के लिए ब्याज के साथ किया जाएगा अर्थात परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तारीख तक भुगतान की तारीख को बचत जमा पर लागू दर या ब्याज की अनुबंधित दर पर भुगतान की तारीख परिपक्व सावधि जमा, जो भी कम हो।

ii. यदि ऐसी अतिदेय जमाराशि के लिए परिपक्वता की तारीख (दोनों दिन शामिल) से 14 दिनों के भीतर नवीनीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त होता है, तो जमा परिपक्वता की तारीख से जमाराशियों के लिए लागू ब्याज दर पर परिपक्वता की तारीख से नवीनीकृत किया जाएगा।

iii. यदि परिपक्वता की तारीख से 14 दिनों के बाद नवीनीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त होता है (दोनों दिन शामिल हैं), तो सावधि जमा को नवीनीकरण की तारीख पर लागू ब्याज दर पर अनुरोध की तारीख से नवीनीकृत किया जाएगा। हालांकि, बीच की अवधि के लिए ब्याज यानी परिपक्वता की तारीख से नवीनीकरण की तारीख तक भुगतान की तारीख को बचत जमा पर लागू दर या परिपक्व सावधि जमा पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी कम हो, पर भुगतान किया जाएगा।

iv. कर्मचारियों की अतिदेय जमाराशियों के भुगतान के लिए सामान्य परिस्थितियों में कर्मचारियों को दिए जाने वाले 1% का अतिरिक्त ब्याज प्रदान किया जाना है।

v. 14 दिनों के बाद नवीनीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर भी मामला दर मामला आधार पर निम्नलिखित अतिदेय जमाओं को पिछले दिनांकित नवीनीकरण के लिए अनुमति दी जाएगी:

थोक जमा, ग्रहणाधिकार चिह्नित जमा, विशेष खुदरा जमा, तकनीकी त्रुटि के कारण नवीकृत जमाराशियां आदि।

ऐसे पिछले दिनांकित नवीनीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी सीआरबीडी प्रमुख हैं।

11.10 जमाराशियों पर ब्याज दर शाखा परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। जमा योजनाओं और अन्य संबंधित सेवाओं के संबंध में परिवर्तन, यदि कोई हो, सार्वजनिक नोटिस और/या बैंक की वेबसाइट के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा और प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

11.11 यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारित सभी मीयादी जमाराशियों पर भुगतान/देय कुल ब्याज आयकर अधिनियम के तहत निर्दिष्ट राशि से अधिक है, तो स्रोत पर कर कटौती करने के लिए बैंक का वैधानिक दायित्व है। पुन: निवेश जमा के मामले में, नियत तारीख पर पूर्ण परिपक्वता मूल्य प्राप्त करने के लिए, जमाकर्ता सावधि जमा खाते से जुड़े ऑपरेटिव खाते से सावधि जमा पर देय कर काटने के निर्देश दे सकता है; अन्यथा कर की राशि सावधि जमा पर देय ब्याज से काट ली जाएगी और जमा की परिपक्वता आय मीयादी जमा रसीद पर उल्लिखित से कम होगी। बैंक कर कटौती की राशि के लिए कर कटौती प्रमाणपत्र (टीडीएस प्रमाणपत्र) जारी करेगा। जमाकर्ता, यदि टीडीएस से छूट का हकदार है, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में निर्धारित प्रारूप में घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। पैन प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप आयकर विभाग द्वारा सलाह दी गई दरों पर टीडीएस की कटौती की जाएगी। यदि एक वित्तीय वर्ष में जमाकर्ता को भुगतान किया गया कुल ब्याज आयकर विभाग द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, तो स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी और आयकर नियमों/कानूनों के अनुसार कोई भी घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।

12. दस साल से अधिक की सावधि जमा (कोर्ट ऑर्डर)

घरेलू और एनआरओ रुपया सावधि जमा न्यूनतम 7 दिनों की अवधि और अधिकतम 10 वर्षों तक खोली जा सकती है। एनआरई सावधि जमा के लिए, न्यूनतम अवधि 1 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष है। हालांकि, जमाकर्ता के पक्ष में जारी न्यायालय के आदेश के मामले में, जमाकर्ताओं को घरेलू रुपया सावधि जमा को अनुमेय अवधि से अधिक, यानी 10 वर्षों के लिए खोलने की अनुमति है।

इन मीयादी जमा खातों के लिए पात्र ब्याज दर घरेलू एनआरओ और एनआरई रुपया मीयादी जमाराशियों के लिए खाता खोलने की प्रभावी तिथि पर दस वर्ष के लिए लागू ब्याज दर होगी।

13. अवयस्कों के खाते

आवर्ती जमा सहित बचत बैंक खाता और सावधि जमा खाते नाबालिग के नाम पर (जिसे अवयस्क खाता कहा जाता है) प्राकृतिक अभिभावक या न्यायालय (कानूनी अभिभावक) द्वारा नियुक्त अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। बचत बैंक खाता या सावधि जमा खाता भी नाबालिग के नाम पर संयुक्त रूप से प्राकृतिक अभिभावक या माता के साथ अभिभावक के रूप में (मामूली के खाते के रूप में जाना जाता है) या संयुक्त रूप से एक प्रमुख के साथ खोला जा सकता है, जहां नाबालिग का प्रतिनिधित्व प्राकृतिक अभिभावक द्वारा किया जाता है।

10 वर्ष से अधिक आयु के अवयस्कों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के साथ स्वतंत्र रूप से बचत बैंक खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति होगी-

13.1 खाते में कोई न्यूनतम शेषराशि की आवश्यकता नहीं होगी।

13.2 खाता हमेशा क्रेडिट में रहेगा और किसी भी परिस्थिति में अधिक आहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.3 नाबालिग खाताधारक को चेक बुक जारी की जाएगी। हालांकि, चेक बुक को खाते से स्वयं नकद निकासी के एकमात्र उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति होगी। नाबालिग खाताधारक किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में चेक जारी/आहरण नहीं कर सकता है।

13.4 इन अवयस्कों को कोई ओवरड्राफ्ट नहीं दिया जाएगा।

13.5 नाबालिग द्वारा खाते में परिचालन से संबंधित बैंक की क्षतिपूर्ति करने वाला एक वचन-पत्र खाता खोलते समय पिता/माता/कानूनी अभिभावक से प्राप्त किया जाएगा।

13.6 इन खातों को खोलते और संचालित करते समय केवाईसी मानदंड और अवयस्क के उचित परिश्रम को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वयस्क होने पर, पूर्ववर्ती नाबालिग को अपने खाते

में शेष राशि की पुष्टि करनी चाहिए और यदि खाता प्राकृतिक अभिभावक/अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है, तो प्राकृतिक अभिभावक द्वारा विधिवत सत्यापित पूर्ववर्ती नाबालिग के नए नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे और रिकॉर्ड में रखे जाएंगे।

14. निरक्षर व्यक्तियों का खाता

बैंक अपने विवेक से किसी अनपढ़ व्यक्ति के चालू खातों के अलावा अन्य जमा खाते खोल सकता है। ऐसे व्यक्ति का खाता खोला जा सकता है बशर्ते कि वह एक गवाह के साथ व्यक्तिगत रूप से बैंक को बुलाए जो जमाकर्ता और बैंक दोनों को जानता हो। आम तौर पर, ऐसे बचत बैंक खाते के लिए कोई चेक बुक सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। जमा राशि और/या ब्याज के आहरण/पुनर्भुगतान के समय, खाताधारक को उस व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने वाले अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में अपने अंगूठे का निशान या निशान लगाना चाहिए। बैंक खाताधारक को दी गई पासबुक आदि की उचित देखभाल और सुरक्षित रखने की आवश्यकता के बारे में बताएगा। बैंक अधिकारी अनपढ़ व्यक्ति को खाते को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों की व्याख्या करेगा।

15. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खाते:

ट्रांसजेंडर होने का दावा करने वाले व्यक्ति के मामले में और खाता खोलने या कोई बैंकिंग लेनदेन करने की जरूरत है, उस व्यक्ति को "थर्ड जेंडर" के रूप में पहचाना जाएगा और विवरण एओएफ/या अन्य लागू रूपों में स्वीकार किया जाएगा। सभी ट्रांसजेंडर ग्राहकों के साथ अन्य पुरुष/महिलाओं के समान व्यवहार किया जाएगा

16. दृष्टिबाधित व्यक्तियों का खाता

बैंक दृष्टिबाधित व्यक्तियों के बचत बैंक खाते के साथ-साथ सावधि जमा खाते खोलने की सुविधा प्रदान करेगा। ऐसे खाते खाताधारक द्वारा व्यक्तिगत रूप से संचालित किए जाएंगे। चेक बुक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे खाताधारकों को शाखा अधिकारी के सामने उपस्थित होना होगा और अंगूठे का निशान लगाना होगा और संचालन की सुविधा के लिए उनकी तस्वीर के माध्यम से उनकी पहचान की जाएगी। बैंक सहायक प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्रौद्योगिकी बैंकिंग सुविधाएं शुरू करने के लिए भी प्रतिबद्ध है जिससे दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने खाते संचालित कर सकेंगे।

17. ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों का खाता

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के तहत जिला न्यायालय द्वारा नियुक्त कानूनी अभिभावक या इसके तहत गठित स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी,

मानसिक मंदता और बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के नाम पर बचत बैंक और सावधि जमा भी खोले जा सकते हैं। विकलांग अधिनियम, 1999 के तहत ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट। इस प्रकार नियुक्त कानूनी अभिभावक, संरक्षकता के साथ स्थानीय कानून के अनुसार विधिवत रूप से मुहर लगाकर एक क्षतिपूर्ति-सह-उपक्रम बांड प्रस्तुत करेगा।

18. संयुक्त खाताधारकों के नाम जोड़ना या हटाना

बैंक सभी संयुक्त खाताधारकों के अनुरोध पर संयुक्त खाताधारकों के नाम जोड़ने या हटाने की अनुमति दे सकता है. यदि परिस्थितियाँ ऐसी हों या किसी व्यक्तिगत जमाकर्ता को संयुक्त खाता धारक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने की अनुमति दें।

19. ग्राहक सूचना

ग्राहकों से एकत्र की गई ग्राहक जानकारी का उपयोग बैंक, उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों द्वारा सेवाओं या उत्पादों की क्रॉस सेलिंग के लिए नहीं किया जाएगा। यदि बैंक इस तरह की जानकारी का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है, तो इसे खाताधारक की सहमति से सख्ती से किया जाना चाहिए।

20. ग्राहक के खातों की गोपनीयता

बैंक ग्राहक से व्यक्त या निहित सहमति के बिना किसी तीसरे व्यक्ति या पार्टी को ग्राहक के खाते के विवरण/विवरण का खुलासा नहीं करेगा। हालांकि, कुछ अपवाद हैं, जैसे कानून की बाध्यता के तहत सूचना का प्रकटीकरण, जहां खुलासा करना जनता का कर्तव्य है और जहां बैंक के हित के प्रकटीकरण की आवश्यकता है।

21. सावधि जमा की समयपूर्व निकासी

जमाकर्ता के अनुरोध पर, बैंक अपने विवेक से जमाराशि रखने के समय पर सहमत जमा की अवधि पूरी होने से पहले सावधि जमा की निकासी की अनुमति दे सकता है। बैंक जमाकर्ताओं को जमा दर के साथ लागू दर से अवगत कराएगा। सावधि जमा की समयपूर्व निकासी के लिए बैंक के पास निम्नलिखित नीति है:

21.1 जब तक जमा योजना के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध न हो, जमा की समयपूर्व निकासी की अनुमति दी जाएगी, चाहे वह कितनी भी अवधि हो, लेकिन सावधि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, जो बैंक के पास 7 दिनों से कम समय तक रहता है।

21.2 सावधि जमाराशियों के लिए जो 7 दिनों और उससे अधिक समय तक चलती हैं, ब्याज का भुगतान उस अवधि के लिए जमा की तारीख पर लागू दर पर किया जाएगा, जिसके लिए वह वास्तव में बैंक के पास रहा है या अनुबंधित दर जो भी कम हो, दंड शुल्क के साथ, यदि कोई हो, समय से पहले के लिए सावधि जमा के लिए निकासी।

21.3 100.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक की जमा राशि या एल्को समिति द्वारा तय की गई जमा राशि के मामले में और 31 दिनों से अधिक की अवधि वाले ग्राहकों को उस जमा को समय से पहले बंद करने के लिए अग्रिम रूप से **31 दिन का** नोटिस देना होगा। यह प्रावधान फ्लेक्सी टर्म डिपॉजिट पर लागू नहीं होगा।

प्रत्यायोजित प्राधिकार:

100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की सावधि जमा को समय से पहले बंद करने के लिए 31 दिनों की नोटिस अवधि के खंड की छूट की शक्ति **एल्को के पास होगी।**

22 समय से पहले नवीनीकरण / सावधि जमा का विस्तार

यदि जमाकर्ता किसी मौजूदा सावधि जमा खाते को समय से पहले बंद करने की मांग करके जमा का नवीनीकरण करना चाहता है, तो बैंक नवीनीकरण की तिथि पर लागू दर पर नवीनीकरण की अनुमति देगा, बशर्ते जमा राशि का नवीनीकरण अवधि की शेष अवधि से अधिक अवधि के लिए किया गया हो। मूल जमा। नवीनीकरण के उद्देश्य से जमाराशि को समय से पहले बंद करते समय, जमा राशि पर बैंक के पास रहने की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान जमा की तारीख पर लागू दर से उस अवधि तक किया जाएगा, जिस अवधि के लिए जमा बैंक के पास रहा या अनुबंधित ब्याज दर जो भी कम हो, बिना किसी जुर्माने के।

23 सावधि जमा का नवीनीकरण

23.1 जमाकर्ता खाता खोलते समय अपने खाते में परिपक्वता राशि के भुगतान के लिए या ड्राफ्ट द्वारा या अपनी पसंद की अवधि के लिए जमा के नवीनीकरण के लिए निर्देश दे सकते हैं। ग्राहक से किसी भी निर्देश के अभाव में, बैंक जमा को उसी अवधि के लिए देय तिथि पर नवीनीकृत करेगा जिस अवधि के लिए परिपक्व जमा रखा गया था। हालांकि जमाकर्ता के पास ऐसी अवधि के लिए मूल्य दिनांकित प्रभाव के साथ परिपक्वता की तारीख से 14 दिनों के भीतर ऑटो नवीनीकरण अवधि को बदलने का विकल्प होगा। परिपक्वता की तारीख से 14 दिनों के बाद प्राप्त ऑटो नवीनीकरण अवधि में परिवर्तन के अनुरोध को जमा राशि का समयपूर्व नवीनीकरण माना जाएगा।

23.2 हालांकि थोक जमा (2 करोड़ रुपये और उससे अधिक की जमा राशि) के लिए ऑटो नवीनीकरण विकल्प उपलब्ध नहीं है।

23.3 जमाकर्ता की मृत्यु के बाद, नवीनीकरण (खाता खोलने के समय के आदेश के अनुसार)/खाते में स्वतः नवीनीकरण को शून्य/शून्य माना जाएगा। (मृत्यु की सूचना के अभाव में, यदि जमाकर्ता की मृत्यु के बाद जमा का नवीनीकरण/स्वतः नवीनीकरण किया जाता है तो उसे शून्य/शून्य माना जाएगा)। उक्त जमा के लिए ब्याज भुगतान की तारीख को बचत जमा पर लागू दर पर भुगतान किया जाएगा।

24 जमाराशियों पर अग्रिम

बैंक जमाकर्ता/ओं के अनुरोध पर ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए जमाकर्ता/ओं द्वारा आवश्यक सुरक्षा दस्तावेजों के निष्पादन द्वारा विधिवत निर्वहन के लिए ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा पर विचार कर सकता है। बैंक अवयस्क के नाम पर जमा राशि के एवज में ऋण पर भी विचार करेगा, हालांकि एक उपयुक्त घोषणा जिसमें कहा गया है कि ऋण नाबालिग के लाभ के लिए है, जमाकर्ता-आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

25 बैंकों में "पुरवारती या उत्तरजीवी" या "पूर्व या उत्तरजीवी" जनादेश के साथ सावधि जमाकर्ता की समयपूर्व चुकौती।

किसी एक या उत्तरजीवी या पूर्व या उत्तरजीवी जनादेश के साथ सावधि जमा के मामले में, बैंकों को दूसरे की मृत्यु पर जीवित संयुक्त जमाकर्ता द्वारा जमा की समयपूर्व निकासी की अनुमति देने की अनुमति दी जाती है, यदि संयुक्त जमाकर्ताओं से इस पर संयुक्त आदेश है प्रभाव।

संयुक्त जमा धारकों को या तो सावधि जमा रखने के समय या बाद में जमा की अवधि/अवधि के दौरान जनादेश देने की अनुमति दी जा सकती है। यदि ऐसा अधिदेश प्राप्त होता है, तो बैंक मृत संयुक्त जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति प्राप्त किए बिना जीवित जमाकर्ता द्वारा सावधि/सावधि जमा की समयपूर्व निकासी की अनुमति दे सकते हैं। यह भी दोहराया जाता है कि इस तरह की समयपूर्व निकासी पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगेगा।

26 मृत जमाकर्ता के खाते में बकाया राशि का भुगतान

26.1 बैंक मृत खाताधारकों के खातों के निपटान के लिए एक सरल प्रक्रिया का पालन करेगा। मृतक जमाकर्ताओं के संबंध में दावे और उत्तरजीवी/नामितियों को भुगतान जारी करना दावा प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों से अधिक नहीं की अवधि के भीतर किया जाएगा, बशर्ते जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण और बैंक की संतुष्टि के लिए दावेदार (ओं) की उपयुक्त पहचान प्रस्तुत की जाए।

26.2 यदि जमाकर्ता ने बैंक के साथ नामांकन पंजीकृत किया है - मृत जमाकर्ता के खाते में बकाया शेष राशि को नामिती के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा / नामित व्यक्ति की पहचान के बारे में बैंक द्वारा स्वयं को संतुष्ट करने के बाद नामित को भुगतान किया जाएगा।

26.3 उपरोक्त प्रक्रिया का पालन उस संयुक्त खाते के संबंध में भी किया जाएगा जहां बैंक के साथ नामांकन पंजीकृत है।

26.4 एक संयुक्त जमा खाते में जब संयुक्त खाताधारकों में से एक की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक को मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों और जीवित जमाकर्ता (ओं) को संयुक्त रूप से भुगतान करना होता है। हालाँकि, यदि संयुक्त धारकों ने खाते में शेष राशि के निपटान के लिए किसी एक या उत्तरजीवी, पूर्व / बाद वाले या उत्तरजीवी, किसी या उत्तरजीवी या उत्तरजीवी के रूप में आदेश दिया था; आदि, भुगतान शासनादेश के अनुसार किया जाएगा।

26.5 नामांकन के अभाव में और जब दावेदारों के बीच कोई विवाद नहीं होता है, तो बैंक सभी कानूनी उत्तराधिकारियों या कानूनी वारिसों द्वारा उनकी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य व्यक्ति द्वारा संयुक्त आवेदन के खिलाफ मृत व्यक्ति के खाते में बकाया राशि का भुगतान करेगा। बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा तक कानूनी दस्तावेजों पर जोर दिए बिना। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी के कारण आम जमाकर्ताओं को कठिनाई न हो। निर्धारित सीमा से अधिक बकाया राशि के लिए बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है।

26.6 मृतक व्यक्तिगत जमाकर्ता/एकमात्र स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम पर चालू खाते में शेष राशि के मामले में, ब्याज का भुगतान केवल 1 मई , 1983 से या जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से, जो भी बाद में हो, तक किया जाना चाहिए। दावेदारों को भुगतान की तारीख को बचत जमा पर लागू ब्याज दर पर चुकौती की तारीख।

27 मृत जमाकर्ता के खाते में सावधि जमा पर देय ब्याज

27.1 जमा की परिपक्वता तिथि से पहले जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में और जमा की राशि का दावा परिपक्वता की तारीख के बाद किया जाता है, बैंक परिपक्वता की तारीख तक अनुबंधित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। **परिपक्वता की तारीख के बाद,** भुगतान की तारीख को बचत जमा पर लागू ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान उस अवधि के लिए किया जाएगा जिसके लिए जमा परिपक्वता की तारीख के बाद बैंक के पास रहा।

27.2 यदि जमा राशि का दावा परिपक्वता की तारीख से पहले किया जाता है, तो उस अवधि के लिए लागू दर पर ब्याज, जिसके लिए जमा बैंक के पास रहा है, **बिना किसी दंड के भुगतान किया जाएगा।**

27.3 तथापि, अतिदेय जमा की परिपक्वता तिथि के बाद जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में, बैंक अतिदेय जमा पर बैंक की नीति के अनुसार ब्याज का भुगतान करेगा।

28 खातों को बंद करना:

28.1. जमाकर्ता के लिखित अनुरोध पर खाते बंद किए जा सकते हैं। खाता बंद करने के अनुरोध में बंद होने का कारण बताना चाहिए। पास बुक, अप्रयुक्त चेक पत्ते और एटीएम सह डेबिट कार्ड (चुंबकीय पट्टी में दो टुकड़ों में काटने के बाद) ऐसे अनुरोध के साथ होना चाहिए। ऐसे सभी संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुरोध पर ही संयुक्त खाते बंद किए जा सकते हैं।

28.2. सामान्य परिस्थितियों में, हम कम से कम 30 दिनों का नोटिस दिए बिना इस तरह के बंद होने के कारणों का संकेत दिए बिना जमाकर्ताओं के खाते को बंद नहीं करेंगे। ऐसे मामलों में, खाताधारक को पहले से जारी किए गए चेक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी और ऐसे खाते पर कोई भी नया चेक जारी करने से बचना होगा।

29 जमाराशियों के लिए बीमा कवर

सभी बैंक जमा भारतीय जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) द्वारा दी जाने वाली बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं। लागू बीमा कवर का विवरण जमाकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा।

बैंक बीमा लाभों से जुड़े जमा उत्पादों की पेशकश करते समय ग्राहक को बीमा लाभ प्राप्त करने का विकल्प देगा और यदि जमाकर्ता बीमा कवर का विकल्प चुनता है तो बीमा लागत को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगा।

30. भुगतान रोको सुविधा

बैंक जमाकर्ताओं द्वारा जारी किए गए चेक के संबंध में भुगतान रोकने के निर्देश स्वीकार करेगा। शुल्क, जैसा निर्दिष्ट किया गया है, वसूल किया जाएगा।

31. निष्क्रिय खाते

जो खाते दो साल की अवधि के लिए संचालित नहीं होते हैं, उन्हें जमाकर्ता के साथ-साथ बैंक के हित में निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। जमाकर्ता को उन शुल्कों के बारे

में सूचित किया जाएगा, यदि कोई हो, जो बैंक निष्क्रिय/निष्क्रिय खातों पर लगाएगा। जमाकर्ता बैंक से अनुरोध कर सकता है कि वह केवाईसी मानदंडों के अनुसार शर्तों का पालन करने के बाद इसे संचालित करने के लिए खाते को सक्रिय करे।

32. अनिवासी खाते

32.1 **" एफसीएनआर (बी) खाता"** का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2000 में संदर्भित एक विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

32.2 **"एनआरई खाता"** का अर्थ समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2000 में संदर्भित एक अनिवासी बाहरी जमा खाता है।

32.3 **"एनआरओ खाता"** का अर्थ समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2000 में संदर्भित एक अनिवासी साधारण जमा खाता है।

32.4 **"आरएफसी खाता"** का अर्थ समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियम, 2000 में संदर्भित एक निवासी विदेशी मुद्रा खाता है।

32.5 रुपया जमा:

अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों से स्वीकार किए गए रुपया जमा एनआरओ और एनआरई खातों के रूप में बनाए रखा जाता है। ये खाते केवल व्यक्ति ही खोल सकते हैं।

32.5.1 अनिवासी साधारण खाता (एनआरओ): एनआरआई स्थानीय वास्तविक लेनदेन से अपनी धनराशि एकत्र करने के लिए अनिवासी साधारण जमा खाते खोल सकते हैं । एनआरओ खाते रुपया खाते हैं, ऐसी जमाराशियों पर विनिमय जोखिम जमाकर्ता द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। जब कोई निवासी एनआरआई बन जाता है, तो उसके मौजूदा रुपया खातों को एनआरओ खातों के रूप में नामित किया जाता है। भारत में निवासी विदेशी नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनआरओ खाते भी खोले जा सकते हैं। इन खातों को चालू, बचत या सावधि जमा खातों के रूप में रखा जा सकता है। इन जमाओं में लागू ब्याज दरें आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं। हालांकि अर्जित ब्याज आईटी अधिनियम के अनुसार कर के अधीन है। जबकि एनआरओ जमा की मूल राशि गैर-प्रत्यावर्तनीय है, वर्तमान आय और अर्जित ब्याज प्रत्यावर्तनीय है।

32.5.2 अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता (एनआरई): ये खाते विदेश से बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत को भेजे गए धन के साथ खोले जाते हैं। इन खातों को चालू, बचत या सावधि जमा

के रूप में रखा जाता है। एनआरई सावधि जमा आरबीआई के निर्देशों के अनुसार न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। स्थानीय भुगतान स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। यह एक प्रत्यावर्तनीय खाता है और किसी अन्य एनआरई या एफसीएनआर (बी) खाते से धन के हस्तांतरण की भी अनुमति है। चूंकि इन खातों का रखरखाव रुपये में किया जाता है, इसलिए जमाकर्ता को विदेशी मुद्रा में रूपांतरण के लिए विनिमय जोखिम का सामना करना पड़ता है। एनआरई जमाराशियों पर देय ब्याज दरों को 16.12.2011 से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है ।

32.5.3 एनआरओ खातों में अनुमेय डेबिट और क्रेडिट

क्रेडिट

a) बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारत के बाहर से किसी भी अनुमत मुद्रा में प्राप्त प्रेषण की आय या खाताधारक द्वारा भारत में अपनी अस्थायी यात्रा के दौरान किसी भी अनुमत मुद्रा या अनिवासी बैंकों के रुपया खातों से हस्तांतरण के दौरान प्राप्त धन।

b) खाताधारक के भारत में वैध बकाया।

c) अन्य एनआरओ खातों से स्थानांतरण।

d) FEMA और RBI विनियमों के तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार खाताधारक द्वारा प्राप्त कोई भी राशि।

डेबिट

a. रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए प्रासंगिक नियमों के अनुपालन के अधीन निवेश के भुगतान सहित सभी स्थानीय भुगतान रुपये में।

b. खाताधारक की भारत में वर्तमान आय का भारत से बाहर विप्रेषण, लागू करों को छोड़कर।

c. अन्य एनआरओ खातों में स्थानांतरण।

d. विदेशी मुद्रा प्रबंधन (परिसंपत्ति का प्रेषण) विनियम के विनियम 4(2) में निर्दिष्ट एनआरओ खातों में धारित शेष राशि के प्रत्यावर्तन की सीमाओं के अधीन, भारत में अधिकृत डीलर/बैंकों द्वारा एनआरआई या पीआईओ को जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों पर प्रभारों का निपटान, 2016.

32.5.4 एनआरई खातों में अनुमत नामे और जमा:

अनुमत क्रेडिट:

a. किसी भी अनुमत मुद्रा में भारत को प्रेषण की आय।

b. खाताधारक द्वारा अपने विदेशी मुद्रा खाते पर आहरित व्यक्तिगत चेक और यात्री चेक, किसी भी अनुमत मुद्रा में देय बैंक ड्राफ्ट, जिसमें भारतीय रुपये में व्यक्त लिखत शामिल हैं, जिसके लिए प्रतिपूर्ति विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जाएगी, खाताधारक द्वारा व्यक्तिगत

रूप से जमा की जाएगी। भारत में उसकी अस्थायी यात्रा, बशर्ते बैंक/शाखा संतुष्ट हो कि खाताधारक अभी भी भारत के बाहर निवासी है, यात्रियों के चेक/ड्राफ्ट खाताधारक के नाम पर खड़े/पृष्ठांकित हैं और यात्रियों के चेक के मामले में, वे भारत के बाहर जारी किए गए थे।

c. भारत की अस्थायी यात्रा के दौरान खाताधारक द्वारा प्रस्तुत विदेशी मुद्रा/बैंक नोटों की आय, बशर्ते

i. राशि को मुद्रा घोषणा प्रपत्र (सीडीएफ) पर घोषित किया गया था, जहां लागू हो, और

ii. खाता धारक द्वारा स्वयं बैंक/शाखाओं को नोट प्रस्तुत किए जाते हैं और बैंक/शाखा संतुष्ट है कि खाताधारक भारत से बाहर का निवासी है।

d. अन्य एनआरई/एफसीएनआर (बी) खातों से अंतरण।

e. खाते में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज।

f. खाता धारक के कारण भारत में वर्तमान आय, भारत में लागू करों के भुगतान के अधीन।

g. भारत में किसी भी अनुमेय निवेश की परिपक्वता या बिक्री आय जो मूल रूप से खाताधारक के एनआरई / एफसीएनआर (बी) खाते से डेबिट करके या बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारत के बाहर से प्राप्त प्रेषण से की गई थी। बशर्ते कि निवेश ऐसा निवेश करते समय लागू विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार किया गया हो।

h. भारतीय कंपनियों या उसके हिस्से के नए मुद्दों के लिए शेयर/डिबेंचर सदस्यता की वापसी, यदि सदस्यता की राशि का भुगतान उसी खाते से या खाता धारक के अन्य एनआरई / एफसीएनआर (बी) खाते से किया गया था या बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारत के बाहर से प्रेषण द्वारा किया गया था। .

i. आवास निर्माण एजेंसियों/विक्रेता द्वारा फ्लैट/प्लॉट का आवंटन न होने/आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति की खरीद के लिए बुकिंग/सौदों को रद्द करने के कारण, ब्याज सहित, यदि कोई हो, के लिए आवेदन/ब्याज राशि/खरीद प्रतिफल की वापसी (निवल उस पर देय आयकर), बशर्ते मूल भुगतान खाताधारक के एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाते से किया गया हो या बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारत के बाहर से प्रेषण किया गया हो और बैंक लेनदेन की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हो।

j. कोई अन्य क्रेडिट यदि रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई सामान्य या विशेष अनुमति के अंतर्गत आता है।

अनुमत डेबिट:

a. स्थानीय भुगतान।

b. भारत के बाहर प्रेषण।

c. खाताधारक या इस तरह के खाते को बनाए रखने के लिए पात्र किसी अन्य व्यक्ति के एनआरई / एफसीएनआर (बी) खातों में स्थानांतरण।

d. किसी भारतीय कंपनी के शेयरों/प्रतिभूतियों/वाणिज्यिक पत्रों में निवेश या भारत में अचल संपत्ति की खरीद के लिए बशर्ते कि ऐसा निवेश/खरीद बनाए गए विनियमों, या रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सामान्य/विशेष अनुमति द्वारा कवर किया गया हो।

e. कोई अन्य लेनदेन यदि रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सामान्य या विशेष अनुमति के अंतर्गत आता है।

32.6 विदेशी मुद्रा जमा:

32.6.1. विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर-बी)

ये जमा भारतीय राष्ट्रीयता या मूल (एनआरआई) के अनिवासी व्यक्तियों से स्वीकार किए जाते हैं और यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग और यूरो में बनाए जाते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत केवल सावधि जमा स्वीकार किए जाते हैं। जमाकर्ताओं को विनिमय जोखिम से सुरक्षित किया जाता है। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार न्यूनतम परिपक्वता अवधि एक वर्ष और अधिकतम परिपक्वता अवधि पांच वर्ष है। एफसीएनआर सावधि जमा पर ब्याज दरें आरबीआई के निर्देशों के अनुसार हैं।

धारा 32.5.4 में निर्दिष्ट एनआरई खातों के संबंध में अनुमत सभी डेबिट/क्रेडिट इन खातों के संबंध में भी स्वीकार्य होंगे।

32.6.2. निवासी विदेशी मुद्रा खाता

विदेश में न्यूनतम एक वर्ष के निरंतर प्रवास के बाद स्थायी रूप से लौटने वाले अनिवासी भारतीय निवासी विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं। जो लोग विदेश में एक साल से भी कम समय के बाद लौटे हैं, उन्हें *आरएफसी* खाते खोलने के लिए आरबीआई से अनुमति लेनी होगी। आरएफसी खाते में रखी गई धनराशि को आरबीआई की मंजूरी के बिना विदेश में स्वतंत्र रूप से प्रेषित किया जा सकता है। भारत में भुगतानों को पूरा करने के लिए धनराशि को रुपये में भी निकाला जा सकता है। यदि कोई बाद में एनआरआई बनने के लिए विदेश जाता है, तो उनके आरएफसी खाते में शेष राशि को एनआरई/एफसीएनआर खाते में बदला जा सकता है। जब तक कोई 'निवासी लेकिन साधारण निवासी नहीं' का दर्जा बनाए रखता है, तब तक जमा पर ब्याज कर से मुक्त होगा। एनआरई/एफसीएनआर खातों और वापसी के समय लाए गए अन्य विदेशी मुद्रा निधियों में रखे गए धन को आरएफसी जमा में स्वतंत्र रूप से निवेश किया जा सकता है। इसी तरह, संपत्ति से कोई भी आय जिसे कोई विदेश में बनाए रखना जारी रखता है।

32.7. रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरें-अनिवासी

32.7.1. एनआरई/एनआरओ जमा योजना के तहत स्वीकृत या नवीकृत धन की जमाराशियों पर ब्याज आगामी पैराग्राफों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर होगा:

a. एनआरई/एनआरओ मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें केवल निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से भिन्न होंगी:

i. जमाराशियों की अवधि:

एनआरई मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी और एनआरओ मीयादी जमाराशियों की अवधि सात दिन होगी।

एनआरई और एनआरओ मीयादी जमाराशियों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी।

ii. जमा का आकार

विभेदक ब्याज दर केवल थोक जमा पर दी जाएगी

b. एनआरई/एनआरओ जमाराशियों पर ब्याज दरें बैंकों द्वारा तुलनीय घरेलू रुपया सावधि जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों से अधिक नहीं होंगी।

c. बैंक के स्वयं के कर्मचारी या वरिष्ठ नागरिक होने के कारण जमा पर अतिरिक्त ब्याज दर का लाभ एनआरई और एनआरओ जमाराशियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

d. तिमाही अंतराल पर जमा किया जाएगा ।

e. यदि एक एनआरई खाताधारक, भारत लौटने पर, एनआरई सावधि जमा को निवासी विदेशी मुद्रा खाते (आरएफसी) में बदलने के लिए अनुरोध करता है, तो ब्याज का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

i. यदि एनआरई जमा एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए नहीं चला है, तो ब्याज का भुगतान उस दर से किया जाएगा जो आरएफसी खातों में रखी गई बचत जमा पर देय दर से अधिक नहीं होगी।

ii. अन्य सभी मामलों में, अनुबंधित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

32.7.2. ग्रहणाधिकार अंकित करने पर प्रतिबंध

बैंक/शाखाएं एनआरई बचत जमाराशियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार के ग्रहणाधिकार को चिह्नित नहीं करेंगी।

32.7.3. एनआरई जमाराशियों की समयपूर्व निकासी पर जुर्माना

निम्नलिखित के अधीन:

a. जमाराशियों की स्वीकृति के समय जुर्माने के घटकों को जमाकर्ताओं के ध्यान में स्पष्ट रूप से लाया जाना चाहिए।

b. निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में परिवर्तन के लिए एनआरई सावधि जमा की समयपूर्व निकासी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

c. एनआरई जमा को एफसीएनआर (बी) जमा और इसके विपरीत में बदलने के लिए समय से पहले निकासी के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।

32.7.4. मृत जमाकर्ता के एनआरई सावधि जमा खाते पर देय ब्याज

यदि मृतक जमाकर्ता के एनआरई मीयादी जमा खाते के दावेदार निवासी हैं, तो परिपक्वता पर जमा को घरेलू रुपया सावधि जमा माना जाएगा और ब्याज का भुगतान बाद की अवधि के लिए समान की घरेलू सावधि जमा पर लागू दर पर किया जाएगा। परिपक्वता।

32.8. विदेशी मुद्रा पर ब्याज दर (अनिवासी) खाते (बैंक) योजना

32.8.1. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के तहत स्वीकृत या नवीनीकृत धन की जमाराशियों पर ब्याज आगामी पैराग्राफों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार होगा:

a. एफसीएनआर (बी) योजना के तहत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें केवल निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से भिन्न होंगी:

i. *जमाराशियों की अवधि*

एफसीएनआर (बी) योजना के तहत मीयादी जमाराशियों की परिपक्वता अवधि निम्नानुसार होगी:

(a) एक वर्ष और उससे अधिक लेकिन दो वर्ष से कम

(b) दो साल और उससे अधिक लेकिन तीन साल से कम

(c) तीन साल और उससे अधिक लेकिन चार साल से कम

(d) चार साल और उससे अधिक लेकिन पांच साल से कम

(e) सिर्फ पांच साल

बशर्ते कि एफसीएनआर (बी) योजना के तहत पांच वर्षों में एफसीएनआर (बी) जमा की स्वीकृति या नवीनीकरण और एफसीएनआर (बी) योजना के तहत आवर्ती जमा की स्वीकृति की अनुमति बैंक द्वारा नहीं दी जाएगी।

ii. *जमा का आकार*

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अपने विवेक पर, मुद्रा-वार न्यूनतम मात्रा तय करेंगे, जिस पर ब्याज की अंतर दरों की पेशकश की जा सकती है।

b. सभी जमाराशियों पर ब्याज दरें, जहां ब्याज की अंतर दरों की पेशकश की जाती है, नीचे (एफ) पर निर्धारित समग्र सीमा के अधीन होगी।

c. फ्लोटिंग दर जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान संबंधित मुद्रा/परिपक्वता के लिए स्वैप दरों की उच्चतम सीमा के भीतर किया जाएगा और सावधि दर जमाओं के मामले में, संबंधित

मुद्रा/परिपक्वता के लिए ओवरनाइट वैकल्पिक संदर्भ दर की सीमा के भीतर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

d. सभी फ्लोटिंग दर जमाओं के लिए ब्याज रीसेट अवधि छह महीने होगी।

e. पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर संबंधित मुद्रा/स्वैप दरों के लिए रातोंरात वैकल्पिक संदर्भ दर अगले महीने में प्रभावी ब्याज दरों के लिए उच्चतम दरों को निर्धारित करने का आधार बनेगी।

f. एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों की उच्चतम सीमा निम्नानुसार होगी:

जमा की अवधि	**दर**
1 साल से 3 साल से कम	संबंधित मुद्रा के लिए ओवरनाइट वैकल्पिक संदर्भ दर प्लस 250 आधार अंक
3 वर्ष और उससे अधिक तक और सहित 5 साल	संबंधित मुद्रा के लिए ओवरनाइट वैकल्पिक संदर्भ दर / स्वैप प्लस 350 आधार अंक

g. विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा उद्धृत/प्रदर्शित संबंधित मुद्रा/स्वैप दरों के लिए ओवरनाइट वैकल्पिक संदर्भ दर को एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों की गणना के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा।

32.8.2. एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज की गणना का तरीका

(a) योजना के तहत स्वीकृत जमा पर ब्याज की गणना 360 दिनों से एक वर्ष के आधार पर की जाएगी।

(b) एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज की गणना और भुगतान 180 दिनों के अंतराल पर और उसके बाद शेष वास्तविक दिनों की संख्या के लिए किया जाएगा।

बशर्ते कि परिपक्वता पर चक्रवृद्धि प्रभाव के साथ ब्याज प्राप्त करने का विकल्प जमाकर्ता के पास निहित होगा।

32.8.3. एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के नवीकरण पर ब्याज की गणना

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के नवीनीकरण पर ब्याज की गणना निम्नानुसार होगी:

(a) यदि परिपक्वता की तिथि से नवीनीकरण की तिथि (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अवधि 14 दिनों से अधिक नहीं है, तो इस प्रकार नवीकृत जमा की राशि पर देय ब्याज दर नवीनीकरण की अवधि के लिए उपयुक्त ब्याज दर होगी जैसा कि परिपक्वता की तारीख को या जमाकर्ता द्वारा नवीनीकरण की मांग करने की तारीख, जो भी कम हो, पर प्रचलित है।

(b) नवीनीकरण के अन्य सभी मामलों में, नवीनीकृत राशि पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज दरों को एक नई सावधि जमा के रूप में मानते हुए निर्धारित किया जाएगा।

(c) यदि, नवीनीकरण के बाद, योजना के तहत न्यूनतम निर्धारित अवधि के पूरा होने से पहले जमा को वापस ले लिया जाता है , तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अपने विवेक पर, अतिदेय अवधि के लिए भुगतान की गई ब्याज की वसूली कर सकते हैं, अर्थात परिपक्वता की मूल तिथि से आगे की अवधि।

32.8.4. मृत एफसीएनआर(बी) जमाकर्ता की जमा राशि पर देय ब्याज

बैंक एक मृत एफसीएनआर (बी) व्यक्तिगत जमाकर्ता या दो या दो से अधिक संयुक्त जमाकर्ताओं, जहां जमाकर्ताओं में से एक की मृत्यु हो गई है, के नाम पर जमा सावधि जमा पर निम्नानुसार ब्याज का भुगतान करेगा: -

(a) यदि जमाराशि की परिपक्वता पर भुगतान किया जाता है, तो अनुबंधित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा;

(b) यदि जमा राशि का दावा परिपक्वता तिथि से पहले किया जाता है, तो ब्याज का भुगतान अनुबंधित दर पर नहीं बल्कि उस अवधि के लिए लागू दर पर किया जाएगा, जिसके लिए जमा राशि बैंक के पास रही और पूर्व भुगतान के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया;

(c) यदि जमाकर्ता की मृत्यु जमा की परिपक्वता की तारीख से पहले हो जाती है, लेकिन जमा की राशि का दावा परिपक्वता की तारीख के बाद किया जाता है, तो ब्याज का भुगतान परिपक्वता की तारीख तक अनुबंधित दर पर किया जाएगा और लागू दर पर साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा। उस अवधि के लिए परिपक्वता की तारीख जिसके लिए जमाराशि परिपक्वता की तारीख के बाद बैंक के पास रही।

(d) जमाराशि की परिपक्वता की तारीख के बाद जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में, निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाता योजना के तहत धारित बचत जमाराशियों के संबंध में परिपक्वता की तारीख पर लागू ब्याज दर का भुगतान परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तिथि।

(e) यदि दावेदार निवासी हैं, तो परिपक्वता राशि को परिपक्वता की तारीख पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाएगा और बाद की अवधि के लिए समान परिपक्वता की घरेलू सावधि जमा पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

32.8.5. भारत लौटने पर अनिवासी भारतीयों की एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान

बैंक/शाखाएं, अपने विवेक पर, जमाकर्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर, भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के व्यक्तियों की एफसीएनआर (बी) जमाराशियों को अनुमति दे सकती हैं, जो स्थायी निपटान के लिए भारत लौटते हैं, जो अनुबंधित ब्याज दर पर परिपक्वता तक जारी रखने के अधीन हैं। शर्तें जो:

(a) एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर लागू ब्याज दर जारी रहेगी।

(b) ऐसी जमाराशियों को खाताधारक के भारत लौटने की तारीख से निवासी जमाराशियों के रूप में माना जाएगा।

(c) परिपक्वता पर एफसीएनआर (बी) जमाराशियों को खाताधारक के विकल्प पर निवासी रुपया जमा खाते या आरएफसी खाते (यदि पात्र हो) में परिवर्तित किया जाएगा।

(d) नई जमा राशि (रुपया खाता या आरएफसी खाता) पर ब्याज दर ऐसे जमा खाते के लिए लागू प्रासंगिक दर होगी।

32.8.6. लौटने वाले भारतीयों के एफसीएनआर (बी) खातों का आरएफसी खातों/निवासी रुपया खातों में परिवर्तन-ब्याज का भुगतान

फेमा और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार शर्तों के अधीन, बैंक एफसीएनआर (बी) खाते को आरएफसी/निवासी रुपया खाते में परिवर्तित करते समय ब्याज का भुगतान करेगा, भले ही जमा ने धारा 32.8.1 (ए) उल्लिखित न्यूनतम परिपक्वता अवधि पूरी नहीं की हो।

बशर्ते कि ब्याज दर आरएफसी खाता योजना के तहत धारित बचत बैंक जमा पर देय दर से अधिक नहीं होगी।

32.8.7. जमाराशियों का समयपूर्व आहरण

(a) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जमाकर्ता के अनुरोध पर, एफसीएनआर (बी) योजना के तहत जमाराशियों के समयपूर्व आहरण की अनुमति देंगे।

(b) यदि एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की समयपूर्व निकासी न्यूनतम निर्धारित अवधि के पूरा होने से पहले होती है जैसा कि धारा 32.8.1 (ए) में उल्लिखित है। कोई ब्याज देय नहीं होगा।

32.8.8. जमाराशियों के समयपूर्व आहरण पर दंड

एफसीएनआर (बी) सावधि जमाराशियों की समयपूर्व निकासी के लिए दंड पर एक व्यापक नीति निदेशक मंडल या बोर्ड की किसी भी समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी, जिसे निम्नलिखित के अधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:

(a) जमाराशियों की स्वीकृति के समय जुर्माने के घटकों को जमाकर्ताओं के ध्यान में स्पष्ट रूप से लाया जाना चाहिए। यदि नहीं , तो समयपूर्व निकासी से होने वाली विनिमय हानि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वहन की जाएगी।

(b) एफसीएनआर(बी) जमाराशियों की समयपूर्व निकासी पर जुर्माना लगाया जाएगा

(i) जब जमाकर्ता स्थायी बंदोबस्त के लिए भारत लौटते हैं।

(ii) एफसीएनआर (बी) जमाराशियों को एनआरई जमाराशियों में या इसके विपरीत बदलने के लिए।

(c) दावेदार/ओं के अनुरोध पर सावधि जमा की राशि के विभाजन के मामले में, सावधि जमा की समयपूर्व निकासी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा यदि जमा की अवधि और कुल राशि में कोई बदलाव नहीं होता है।

(d) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने विवेक से एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की समयपूर्व निकासी के मामले में स्वैप लागत वसूल करने के लिए जुर्माना लगाएंगे।

(e) अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत लौटने पर एफसीएनआर (बी) जमाराशियों में रखी गई शेष राशि को आरएफसी खातों में समयपूर्व परिवर्तन के मामले में कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।

32.9. एनआरओ खाताधारक की आवासीय स्थिति में परिवर्तन

a. निवासी से अनिवासी तक

जब भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी देश (नेपाल या भूटान के अलावा) में रोजगार लेने या भारत से बाहर व्यापार या व्यवसाय करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए भारत छोड़ देता है, जो अनिश्चित अवधि के लिए भारत से बाहर रहने का इरादा दर्शाता है, तो उसका मौजूदा खाते को अनिवासी (साधारण) खाते के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

b. अनिवासी से निवासी तक

खाताधारक के भारत लौटने पर, रोजगार लेने के लिए, या व्यवसाय या व्यवसाय करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनिवासी रुपया खातों को निवासी रुपया खातों के रूप में फिर से नामित किया जा सकता है, जो अनिश्चित अवधि के लिए भारत में रहने के उसके इरादे को दर्शाता है।

जहां खाताधारक केवल भारत की अस्थायी यात्रा पर है, ऐसे दौरे के दौरान खाते को अनिवासी के रूप में माना जाना चाहिए।

32.10. एनआरई खाताधारकों की आवासीय स्थिति में परिवर्तन

एनआरई खातों को निवासी खातों के रूप में फिर से नामित किया जाना चाहिए या इन खातों में रखी गई धनराशि को खाताधारक के विकल्प पर खाते की वापसी के तुरंत बाद आरएफसी खातों (यदि खाताधारक आरएफसी खाता बनाए रखने के लिए पात्र है) में स्थानांतरित किया जा सकता है। भारत में रोजगार लेने या व्यवसाय या व्यवसाय करने के लिए या अनिश्चित अवधि के लिए भारत में रहने के इरादे का संकेत देने वाले किसी अन्य उद्देश्य के लिए धारक। जहां खाताधारक केवल भारत की एक छोटी यात्रा पर है, खाते को भारत में रहने के दौरान भी एनआरई खाते के रूप में माना जा सकता है

32.11. एफसीएनआर (बी) खाताधारकों की आवासीय स्थिति में परिवर्तन

जब कोई खाताधारक भारत में निवासी व्यक्ति बन जाता है, तो जमाराशियों को अनुबंधित ब्याज दर पर परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वह ऐसा चाहता है। हालांकि, एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर लागू ब्याज दर और आरक्षित आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, अन्य सभी उद्देश्यों के लिए ऐसी जमाराशियों को खाताधारक के भारत लौटने की तारीख से निवासी जमा के रूप में माना जाएगा। बैंक/शाखाओं को परिपक्वता पर एफसीएनआर(बी) जमाराशियों को खाताधारक के विकल्प पर निवासी रुपया जमा खातों या आरएफसी खाते (यदि जमाकर्ता आरएफसी खाता खोलने के लिए पात्र है) में परिवर्तित करना चाहिए और नई जमा राशि पर ब्याज (रुपया खाता या आरएफसी खाता) ऐसी जमाराशियों के लिए लागू प्रासंगिक दरों पर देय होगा ।

33. स्टाफ जमा और अतिरिक्त ब्याज का भुगतान:

33.1. परिभाषाएँ:

33.1.1. स्टाफ सदस्य : "बैंक स्टाफ का एक कर्मचारी" का अर्थ नियमित आधार, या पूर्णकालिक या अंशकालिक पर कार्यरत व्यक्ति तथा जिसमें एक व्यक्ति परिवीक्षाधीन पर भर्ती या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अनुबंध पर कार्यरत या प्रतिनियुक्ति पर तथा समामेलन की कोई योजना के अनुसरण पर लिया गया एक कर्मचारी, लेकिन दैनिक आधार पर कार्यरत किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है.

33.1.2. सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य: " बैंक स्टाफ का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी " का अर्थ एक कर्मचारी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति या अन्यथा जैसा बैंक सेवा/ स्टाफ विनियम, परंतु अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने वाले या अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण बर्खास्त या इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है. ऐसा सेवानिवृत्त स्टाफ में वरिष्ठ नागरिक भी हो सकता है.

33.1.3. परिवार: "परिवार" का अर्थ है जिसमें शामिल है पति / पत्नी का सदस्य/ बैंक का सेवानिवृत्त सदस्य और बैंक के स्टाफ के बच्चा/बच्चे, अभिभावक, भाई व बहन / बैंक स्टाफ के सेवानिवृत्त सदस्य जो ऐसा सदस्य/सेवानिवृत्त सदस्य पर आश्रित है, लेकिन कानूनी तौर पर अलग पति या पत्नी शामिल नहीं है.

33.2. अतिरिक्त ब्याज का भुगतान :

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, 22 फरवरी 2019 को अद्यतन मास्टर निदेश DBR.Dir.No.84/13.03.00/2015-16, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने विवेक पर, प्रति वर्ष एक प्रतिशत के अतिरिक्त ब्याज की अनुमति देंगे। बैंक के कर्मचारियों और उनके विशेष संघों की बचत या सावधि जमा पर ब्याज दरों की अनुसूची में उल्लिखित ब्याज दर के साथ-

साथ अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक या ऐसे अन्य कार्यकारी अधिकारियों की जमा राशि पर, जो एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किए गए हैं, के अधीन निम्नलिखित शर्तें।

33.2.1. अतिरिक्त ब्याज तब तक देय है जब तक व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं रहता है और उसके इस तरह के पात्र नहीं रहने की स्थिति में, सावधि जमा खाते की परिपक्वता तक देय है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अधिकारियों द्वारा उनकी नियुक्ति से पहले हमारे बैंक में जमा राशि, यदि कोई हो, कर्मचारी लाभ के लिए पात्र नहीं होगी और अनुबंधित दर पर परिपक्वता तक जारी रहेगी। हालांकि, ऐसे अधिकारियों द्वारा हमारे बैंक में शामिल होने की तिथि को या उसके बाद की गई जमा राशि अतिरिक्त ब्याज लाभ के लिए पात्र होगी (जैसा कि स्टाफ जमा के लिए उपलब्ध है)।

इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि, अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक या ऐसे अन्य कार्यपालकों द्वारा उनके कार्यकाल के बाद निश्चित अवधि के लिए जमाराशियों, इस नीति में उल्लिखित अतिरिक्त ब्याज दर के लिए पात्र होंगे, यदि वे बैंक से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और हमारे बैंक से पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। ऐसे अधिकारियों द्वारा उनके कार्यकाल के बाद (इस नीति की शर्तों के अनुसार) सृजित जमा भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध ब्याज लाभ के साथ अतिरिक्त ब्याज के लाभ के लिए भी पात्र होंगे।

33.2.2. समामेलन की योजना के अनुसरण में लिए गए कर्मचारियों के मामले में, अतिरिक्त ब्याज की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब अतिरिक्त ब्याज के साथ संविदात्मक दर पर ब्याज उस दर से अधिक न हो, जिसकी अनुमति दी जा सकती थी यदि ऐसे बैंक कर्मचारी मूल रूप से नियोजित थे।

उपरोक्त के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्ववर्ती आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई जमा राशि, समामेलन के बाद भी ऐसी सभी जमाराशियों (जैसा कि इस नीति में परिभाषित है) पर अतिरिक्त ब्याज दर के लिए पात्र बनी रहेगी। समामेलन के बाद नवीकृत/सृजित जमा पर जमा की तारीख पर प्रचलित कार्ड दर के अनुसार जमा की अवधि के आधार पर बैंक के नियमित कर्मचारियों पर लागू अतिरिक्त 1% सहित ब्याज अर्जित होगा।

33.2.3. किसी अन्य बैंक से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए कर्मचारियों के मामले में, जिस बैंक से उन्हें प्रतिनियुक्त किया गया है, वे प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उसके साथ खोले गए बचत या सावधि जमा खाते के संबंध में अतिरिक्त ब्याज की अनुमति दे सकते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि, उपरोक्त विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर सवार व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान उसकी परिपक्वता तक सृजित जमाराशियों पर अतिरिक्त ब्याज लाभ के लिए पात्र होंगे और उनके इस प्रकार पात्र नहीं रहने की स्थिति में, सावधि जमा खाते की परिपक्वता। यदि ये अधिकारी/कार्यकारी/व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक हैं, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध लाभ बैंक के साथ उनके कार्यकाल के दौरान सृजित जमा पर भी उपलब्ध होगा।

उपरोक्त संदर्भ में, उदाहरण के लिए, किसी अन्य बैंक से प्रतिनियुक्ति की प्रकृति में एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों / अधिकारियों के लिए लागू शर्तों द्वारा शासित होंगे।

हमारे बैंक से डीएफएस, आईबीए, सीबीआई/प्रवर्तन निदेशालय, अन्य सरकार में प्रतिनियुक्त कर्मचारी। कार्यालय, अन्य एजेंसियां, बैंक की संयुक्त उद्यम संस्थाएं, बैंक की विदेशी शाखाएं/बैंक की विदेशी सहायक कंपनियां, बैंक की घरेलू सहायक कंपनियां आदि कर्मचारी जमा पर अतिरिक्त ब्याज के लाभ के लिए पात्र होंगी, जब तक कि वे बैंक पर बने रहें। बैंक के रोल।

उपरोक्त के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि समामेलन के बाद, बैंक अधिकारियों के लिए समामेलन से पहले बनाए गए जमा पर ब्याज, यदि कोई हो, परिपक्वता तक अनुबंधित दर पर ब्याज अर्जित करना जारी रखेगा।

33.2.4. एक निश्चित कार्यकाल के लिए या एक निश्चित कार्यकाल के अनुबंध पर प्रतिनियुक्ति पर लिए गए व्यक्तियों के मामले में, प्रतिनियुक्ति या अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर लाभ प्राप्त करना बंद हो जाएगा, जैसा भी मामला हो।

और उसके इस तरह पात्र न रहने की स्थिति में सावधि जमा खाते की परिपक्वता तक अतिरिक्त ब्याज लाभ के पात्र होंगे। यदि ये अधिकारी/कार्यकारी/व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक हैं, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध लाभ बैंक के साथ उनके कार्यकाल के दौरान सृजित जमा पर भी उपलब्ध होगा।

उपरोक्त संदर्भ में, एक निश्चित अवधि के लिए एक अनुबंध पर नियुक्त आंतरिक लोकपाल, यह अतिरिक्त ब्याज लाभ बैंक में उसके कार्यकाल के दौरान बनाई गई जमा राशि के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि, अवधि के दौरान सृजित जमाओं को उनकी परिपक्वता तक अनुबंधित दर पर ब्याज दर का लाभ मिलता रहेगा। अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद सृजित नई जमाराशियों पर, जैसा भी मामला हो, लाभ मिलना बंद हो जाएगा।

उपरोक्त के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि समामेलन के बाद, बैंक अधिकारियों के लिए समामेलन से पहले बनाए गए ऐसे व्यक्तियों की जमा राशि पर ब्याज, यदि कोई हो, परिपक्वता तक अनुबंधित दर पर ब्याज अर्जित करना जारी रखेगा।

33.2.5. बैंक कर्मचारी संघ, जिसमें बैंक कर्मचारी प्रत्यक्ष सदस्य नहीं हैं, अतिरिक्त ब्याज के लिए पात्र नहीं होंगे।

उपरोक्त के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि समामेलन के बाद eCB और eAB कर्मचारियों के संघ, समामेलन से पहले सृजित जमा पर अनुबंधित दर पर परिपक्वता तक ब्याज लाभ अर्जित करना जारी रखेंगे ।

33.2.6. 5.00 करोड़ रुपये तक के सभी सावधि जमा खातों और निम्नलिखित के नाम से खोली गई सभी प्रकार की बचत जमा योजनाओं में जनता को देय दरों पर 1% प्रति वर्ष का अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा:

a. बैंक के स्टाफ का सदस्य या सेवानिवृत्त सदस्य, या तो अकेले या संयुक्त रूप से किसी सदस्य या उसके परिवार के सदस्यों के साथ; या

b. बैंक के कर्मचारी का मृत सेवानिवृत्त सदस्य ; तथा

c. एक एसोसिएशन या एक फंड, जिसके सदस्य बैंक के स्टाफ के सदस्य हैं;

अतिरिक्त ब्याज का भुगतान संबंधित जमाकर्ता से एक घोषणा प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है कि जमा की गई राशि या जो समय-समय पर ऐसे खाते में जमा की जा सकती है, जमाकर्ता की है।

उपरोक्त पर, आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि:

ई-सीबी नीति बिंदु संख्या के अनुसार । (एक) और (बी) इसमें कर्मचारी का सदस्य/सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य के <u>कानूनी तौर पर अलग जीवनसाथी</u> <u>शामिल नहीं होगा</u> । इसके अलावा संबंधित जमाकर्ता से एक घोषणापत्र प्राप्त किया जाए कि जमा की गई राशि या जमाकर्ता द्वारा खाते में समय समय पर जमा किए गए धन उनसे संबंधित है (परिशिष्ट-1 के रूप में प्रस्तुत प्रारूप)। इसे समामेलित इकाई में प्राप्त करना जारी रहेगा।

33.3. स्टाफ की संयुक्त जमा :

33.3.1. परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से स्टाफ जमा : जहां जमा का संयुक्त धारक एक कर्मचारी सदस्य है, 1.0% प्रतिवर्ष अतिरिक्त ब्याज का हकदार होगा, कर्मचारी सदस्य का नाम पहले होना चाहिए और बाद में नहीं। हालांकि, इस संबंध में एक घोषणा से कर्मचारी सदस्य प्राप्त करना होगा जमा की गई राशि या जमाकर्ता द्वारा खाते में समय समय पर जमा किए गए धन उनसे संबंधित है (परिशिष्ट-1 के रूप में प्रस्तुत प्रारूप). इसका निहितार्थ यह है कि मौजूदा नियमों के अनुसार, कुल ब्याज भुगतान से लागू टीडीएस की कटौती की जाएगी और संबंधित टीडीएस प्रमाणपत्र केवल स्टाफ सदस्य के नाम पर जारी किया जाएगा, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि खाता संयुक्त नाम में है।

33.3.2. सेवानिवृत्त कर्मचारियों (वरिष्ठ नागरिक) की परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से जमा: **यदि** सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य द्वारा किए गए जमा में संयुक्त रूप से उनके माता-पिता / पति / पत्नी / बच्चे / बच्चे, भाई या बहन के साथ वरिष्ठ नागरिक है, तो शाखा द्वारा उसे स्टाफ ब्याज एवं वरिष्ठ नागरिक ब्याज प्रदान किया जाएगा बशर्ते यह शपथपत्र देना होगा कि यह जमा उससे संबंधित है. यहाँ फिर से, वरिष्ठ नागरिक लाभ के लिए पात्र होने के लिए, मृतक स्टाफ के जीवनसाथी जो एक वरिष्ठ नागरिक है, का नाम संयुक्त जमा में प्रथम होना चाहिए.

दूसरे शब्दों में, पात्र परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों (जो संयोग से वरिष्ठ नागरिक हैं) द्वारा रखी गई जमा राशि वरिष्ठ नागरिक लाभ के साथ अतिरिक्त 1.0% ब्याज के रूप में कर्मचारी लाभ के लिए पात्र होगी, केवल तभी जब सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य पहले नाम है और जमा में बाद में नहीं है.

33.3.3. वरिष्ठ नागरिक के साथ संयुक्त रूप से कर्मचारी जमा : जहां वरिष्ठ नागरिक जो एक स्टाफ सदस्य है, द्वारा संयुक्त रूप से जमा किया है, 1% प्रतिवर्ष अतिरिक्त ब्याज का हकदार होगा, जब स्टाफ सदस्य का नाम पहले हों और बाद में नहीं. इस संबंध में स्टाफ सदस्य से शपथपत्र प्राप्त किया जाए कि जमा की गई राशि या समय-समय ऐसे खातों में जमा की जाने वाली राशि संबंधित स्टाफ सदस्य से संबंधित है.

वरिष्ठ नागरिकों को प्रदत्त 0.5% अतिरिक्त ब्याज का लाभ ऐसे जमाओं (चूंकि सेवारत स्टाफ सदस्य वरिष्ठ नागरिक नहीं है) के लिए नहीं दिया जाएगा. कुल देय ब्याज से उपयुक्त टीडीएस की कटौती की जाएगी तथा संबंधित टीडीएस प्रमाणपत्र केवल स्टाफ सदस्य के नाम जारी किया जाएगा.

33.3.4. मृतक स्टाफ का पति / पत्नी के नाम पर जमा (संयुक्त या एकल) : यदि जमा मृतक सदस्य जो वरिष्ठ नागरिक है, के पति / पत्नी द्वारा संयुक्त रूप किया गया है, तो शाखा द्वारा उसे स्टाफ ब्याज एवं वरिष्ठ नागरिक ब्याज प्रदान किया जाएगा बशर्ते यह शपथपत्र देना होगा कि यह जमा उससे संबंधित है. यहाँ फिर से, वरिष्ठ नागरिक लाभ के लिए पात्र होने के लिए, मृतक स्टाफ के जीवनसाथी जो एक वरिष्ठ नागरिक है, का नाम संयुक्त जमा में प्रथम होना चाहिए.

33.3.5. स्टाफ खाते का समयपूर्व बंदी :

स्टाफ सदस्य की सावधि जमा को समय पूर्व बंद करने पर, लागू जुर्माना लगाया जाएगा (जिस अवधि तक जमा बैंक के पास रहा, उस अवधि के लिए जमा की तारीख पर प्रचलित स्टाफ जमा के लिए लागू कार्ड दर से 1% कम)।

33.3.6. स्टाफ जमा पर उच्चतम सीमा :

समामेलित इकाई के लिए, वर्तमान नीति के अनुसार रु. 5.00 करोड़ की अधिकतम सीमा जारी रहेगी। **इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बाद में किसी भी परिवर्तन के अनुसार रु. 5.00 करोड़ की अधिकतम सीमा में परिवर्तन किया जाएगा.** बैंक की सभी शाखाओं में सावधि जमा (मूल राशि) में निवेश की गई राशि, जिसे स्टाफ श्रेणी के तहत एक साथ रखा गया है, जिस पर कर्मचारियों की श्रेणी की जमा राशि पर 1.0% प्रतिवर्ष की अतिरिक्त दर का लाभ या तो अकेले या परिवार के सदस्यों अर्थात मृत सदस्य के स्टाफ के कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी या पति या पत्नी के रूप में या बैंक के कर्मचारियों के मृत सेवानिवृत्त सदस्य के रूप में संयुक्त रूप से खोला गया है.

33.3.7. खाते जो कर्मचारी खातों के लाभ के लिए अपात्र हैं :

(i) पूर्व कर्मचारी सदस्य जिन्होंने बैंक की सेवा से इस्तीफा दे दिया है (चाहे जितने भी वर्षों की सेवा की गई हो) बैंक की सेवा से उनके इस्तीफे के बाद उनके द्वारा रखी गई/नवीनीकृत जमा राशि के संबंध में स्टाफ खातों के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे.

(ii) भले ही, परिवार का कर्ता बैंक के स्टाफ का सदस्य हो, एचयूएफ के खाते कर्मचारी ब्याज दर के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(iii) बैंक कर्मचारी संघ, जिसमें बैंक कर्मचारी प्रत्यक्ष सदस्य नहीं हैं, अतिरिक्त ब्याज के लिए पात्र नहीं होंगे.

(iv) पूंजीगत लाभ खाते के तहत कर्मचारियों के नाम जमा : यदि कर्मचारियों द्वारा पूंजीगत लाभ खाते के तहत जमा किया जाता है, उस जमा पर अतिरिक्त ब्याज लाभ नहीं मिलेगा. इसी तरह, पूंजीगत लाभ के तहत कर्मचारियों की जमा राशि के लिए भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा.

(v) स्टाफ सदस्यों की एनआरई/एनआरओ जमाराशियां : एनआरई /एनआरओ जमा खाते के तहत कर्मचारियों की जमाराशियां अतिरिक्त ब्याज लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी ।

33.4. मौजूदा जमाराशियों पर अतिरिक्त ब्याज का आवेदन:

इस पॉलिसी की तारीख को बकाया जमाराशियों के लिए अनुबंध के अनुसार बिना किसी बदलाव के ब्याज अर्जित करना जारी रहेगा।

पूर्व-आंध्रा बैंक एवं पूर्व-कॉर्पोरेशन बैंक के बकाया जमा के संबंध में, संयुक्त नामों में, जहां जमाकर्ता का नाम पहले नहीं है, खाते को मूल रूप से अनुबंधित शर्तों के अनुसार ऐसी जमा की परिपक्वता तक अतिरिक्त ब्याज का लाभ मिलता रहेगा। हालांकि, ऐसी जमा राशि की परिपक्वता पर, कर्मचारियों को अतिरिक्त ब्याज का लाभ जारी रहना बंद हो जाएगा। ऐसी जमाराशियों के नवीनीकरण पर, अतिरिक्त ब्याज लाभ तभी मिलेगा जब स्टाफ सदस्य का नाम पहले होगा।

33.5. स्टाफ जमा लाभ का विस्तार पूर्वव्यापी रूप से:

पॉलिसी के तहत पात्र जमा, जो समामेलन प्रक्रिया/तकनीकी मुद्दों के कारण पात्र लाभ से वंचित हैं/हैं, जमा की परिपक्वता तक पूर्वव्यापी प्रभाव (अर्थात 01.04.2020) से पात्र होंगे। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह की जमाराशियां भी बीच की अवधि के दौरान पात्र होनी चाहिए लेकिन तकनीकी मुद्दे (आईटी एकीकरण के बाद समामेलन) और/या पूर्ववर्ती बैंकों के मौजूदा दिशानिर्देशों को अपनाने के कारण इसे बढ़ाया नहीं गया था। इस तरह के प्रस्तावों को मौजूदा प्रथा के अनुसार पूर्व दिनांकित ब्याज लाभ प्रदान करने के लिए परिचालन विभाग, केंद्रीय कार्यालय को अग्रेषित करने की आवश्यकता है। जमा की परिपक्वता पर, प्रभावी लाभ के साथ मौजूदा दर संशोधित नीति की शर्तों के अनुसार जारी रहेगी।

34. जमाकर्ता शिक्षण शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 (डीईएएफ)

भारतीय रिजर्व बैंक ने जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता कोष (फंड) की स्थापना की है। निधि के प्रावधानों के तहत बैंक के किसी भी खाते में जमा राशि, जो दस साल की अवधि के लिए संचालित नहीं की गई है या कोई जमा या दस साल से अधिक के लिए दावा न किए गए किसी भी राशि को निधि में जमा किया जाएगा, दस वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से तीन महीने की अवधि के भीतर. निधि का उपयोग जमाकर्ताओं - ब्याज और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जो जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हो सकते हैं जैसा कि समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। हालांकि, जमाकर्ता बैंक से अपनी जमा राशि या किसी अन्य दावा न की गई राशि का दावा करने या दस साल की समाप्ति के बाद अपने खाते को संचालित करने का हकदार होगा, भले ही ऐसी राशि को फंड में स्थानांतरित कर दिया गया हो। बैंक जमाकर्ता/दावेदार को राशि का भुगतान करने और निधि से ऐसी राशि की वापसी का दावा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

35. सुरक्षित जमा लॉकर

यह सुविधा सभी बैंक शाखाओं में प्रदान नहीं की जाती है और जहां भी सुविधा प्रदान की जाती है, वहाँ सुरक्षित जमा तिजोरी का आवंटन उपलब्धता और सेवा से जुड़े अन्य नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा. सुरक्षित जमा लॉकर एक व्यक्ति (नाबालिग न होने के कारण) द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति (यों), एचयूएफ, फर्मों, लिमिटेड कंपनियों, सहयोगियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों आदि के साथ संयुक्त रूप से किराए पर लिया जा सकता है. लॉकर अकेले या संयुक्त रूप से लेने वाले व्यक्ति (यों) के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है. संयुक्त नाम से लिए गए लॉकरों के संबंध में, अधिकतम दो नामिती नियुक्त किए जा सकते हैं. जमा खातों के समान ही संयुक्त लॉकर धारक किसी एक धारक की मृत्यु की स्थिति में लॉकर के उपयोग हेतु अधिदेश दे सकते हैं। नामांकन या लॉकर की सामग्री के निपटान के लिए अधिदेश के अभाव में, आम लोगों को कठिनाई से बचने के लिए, बैंक लॉकर की सामग्री कानूनी वारिसों को क्षतिपूर्ति के लिए उसी तर्ज पर जारी करेगा जैसा कि जमा खातों पर लागू होता है.

36. ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र

जमाकर्ताओं को बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में कोई शिकायत के लिए बैंक द्वारा ग्राहकों की शिकायतों के प्रबंधन हेतु नामित प्राधिकारी (यों) से संपर्क करने का अधिकार है. शिकायतों के निवारण हेतु आंतरिक व्यवस्था का विवरण शाखा परिसर में प्रदर्शित किया जाएगा. शाखा अधिकारी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे।

बैंकिंग सेवाओं से पीड़ित व्यक्ति पहले बैंक से शिकायत करेगा और अगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है या बैंक के जवाब से असंतुष्ट है, तो वह अपनी शिकायत के निवारण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकता है।

37. पॉलिसी की समीक्षा और वैधता

यह नीति वित्तीय वर्ष 202 2-23 के लिए वैध होगी और इसकी निरंतरता को एमडी और सीईओ के विशिष्ट अनुमोदन से तीन महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

******

परिशिष्ट - I

दिनांक :

प्रेषक :

पीएफ नंबर .----------

प्रति,

शाखा प्रमुख,

---------- शाखा।

श्रीमान,

<u>संयुक्त जमा पर शपथपत्र</u>

इसमें मेरे/हमारे जमा खाते का संदर्भ ---------- के संयुक्त नामों से है -------- (कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी) और मेरे ----------(संबंध का उल्लेख करें) श्रीमान / श्रीमती ---------- ---------- अपनी शाखा के साथ। इस संबंध में, मैं पुष्टि करता/करती/प्रस्तुत करता/करती हूँ कि यद्यपि जमा राशि हमारे संयुक्त नामों से की गई है, ऐसे खाते/खातों में जमा की गई या समय-समय पर जमा की जा सकने वाली धनराशि मेरी (स्टाफ सदस्य/सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य) की है।)

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया हमारे संयुक्त नामों में किए गए उपरोक्त संदर्भित जमा के लिए स्टाफ जमा के लिए उपलब्ध अतिरिक्त ब्याज के लाभ का विस्तार करें। यदि जमा खाते की मुद्रा के दौरान किसी भी समय उपरोक्त सबमिशन गलत पाया जाता है, तो मुझे जमा पर भुगतान किए गए अतिरिक्त ब्याज को वापस करने में कोई आपत्ति नहीं है।

सादर,

(स्टाफ सदस्य जमाकर्ता का नाम)